कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थिति	:	श्री अनिल संत, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
प्रार्थी	:	सर्वश्री श्री दुर्गा इण्डस्ट्रीज, ओल्ड हास्पिटल रोड, उन्नाव ।
प्रार्थना पत्र सं0	:	371/2008
प्रार्थी की ओर से	:	श्री एस0 मनु, अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा–59 के अंतर्गत निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा धारा 59 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र दि0 3.10.08 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें पेपर बोर्ड अथवा वेस्ट बोर्ड पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2. ***व्यापारी के*** धारा 59 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, कानपुर जोन कानपुर के पत्रसं0 4403 दि0 12.2.09 से प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि पैकिंग मैटेरियल के रुप मे प्रयोग किये जाने वाले पेपर बोर्ड का निर्माण किया जाता है और उसमे हस्तनिर्मित प्रकिया का प्रयोग किया जाता है । निर्माण की प्रकिया में वेस्ट पेपर तथा वेस्ट पेपर पल्प का प्रयोग किया जाता है । अनुसूची 2 भाग–ए के क्रमांक 92 से आच्छादित है क्योकि यह मिल बोर्ड, डुप्लेक्स बोर्ड तथा जिप्सम बोर्ड की श्रेणी मे नही आता है।

3. प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री एस0 मनु, अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा तर्क दिया गया कि पेपर बोर्ड अथवा वेस्ट बोर्ड का निर्माण हैन्डमेड पेपर की भॅाति किया जाता है । पेपर पल्प मे स्ट्रा मिला होता है । मैनुअल पावर से इसकी शीट बनायी जाती है, इस शीट को धूप मे सुखाया जाता है। पैकिंग में इस प्रयोग किया जाता है।

4. प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। तर्कों को सुना गया तथा अनुसूची का विधिक परीक्षण किया गया। इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि पेपर बोर्ड को स्ट्रा (भूसा) से पल्प (लुगदी) बनाकर पेपर की भांति इसका निर्माण किया जाता है। इस पर भी कोई विवाद नहीं है कि इसका प्रयोग पैकिंग मैटीरियल के रूप में ही होता है। अनुसूची–2 पार्ट–ए में क्रमांक 90 व 92 पर निम्न प्रविष्टि है।

90- Packing cases & packing materials including cork , cork sheets, gunny bags, HDPE/PP woven strips, HDPE/PP circular strips and woven fabrics; Hessian cloth, Hessian based paper, Polythene and Hessian based paper; high density polythene fabric based paper and bituminized water proof paper, jute twine; polythene and plastic bags including LDPE plastic bags for milk pouches; Tin containers, shooks, tea chests, waste paper, wooden boxes, wooden shavings, wooden crates, wooden cable drums, all types of ropes and strings, envelopes.

Explanation : planks, penals, battens, when assembled will form tea chest or packing cases will come under packing cases for the purpose of this entry.

92- Paper of all kinds (including newsprint when sold to person other than news paper publishers), handmade paper and gum tape, whether meant for writing, printing, copying, packing or for any other purpose excluding cellophane, mill board, duplex board and grey board; plywood, flushdoor and blockboard, hardwares, millstores, metallic jaali, barbed wire; wooden spoon.

उपरोक्त दोनों प्रविष्टियों के परीक्षण से यह बात स्पष्ट होती है कि पैकिंग केसेज़/पैकिंग मैटीरियल की जो प्रविष्टि अनुसूची 2 भाग–ए क्रमांक 90 पर है । पेपर बोर्ड की निर्माण प्रक्रिया पेपर की भांति होती है। पेपर ऑफ ऑल काइण्ड्स चाहे जिस उद्देश्य के लिए हो उस पर कर की दर 4 प्रतिशत ही रहेगी। इस प्रविष्टि के अंतर्गत केवल सेलोफेन, मिल बोर्ड, डूप्लेक्स बोर्ड तथा ग्रे बोर्ड को निकाला गया है जबकि स्ट्रा बोर्ड

क्रमशः2 पर

सर्वश्री श्री दुर्गा इण्डस्ट्रीज, ओल्ड हास्पिटल रोड, उन्नाव ।
प्रार्थना पत्र सं0: 371/2008

को नहीं निकाला गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रविष्टि के अंतर्गत भी इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदायित्व बनता है।

5. पेपर बोर्ड अथवा वेस्ट बोर्ड एक ऐसा पेपर है जिसका पैकिंग मैटीरियल की तरह प्रयोग होता है अतैव इस पर 4 प्रतिशत की दर से करदेय होगा।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा 59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित करनिर्धारक अधिकारी को तथा ***एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।***

दिनांक :: 13, अगस्त,2009

ह0 13.8.09
(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि
13/8/09

कमिश्नर वाणिज्य कर
धारा-59
अनुभाग
उ0प्र0 मुख्यालय